

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठरीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

1. दोनियार सिंह पुत्र हरिराम-
भाई मेधवात नि० प्रजाणा

उनवान

बनाम

1. हरिराम पुत्र भादरा-भाई मेधवात

निवासी-प्रजाणा २० भादरा

2. सज्जन कुमार पुत्र हरिराम-भाई

मेधवात नि० प्रजाणा २० भादरा

3. राजेश्वर प्रसाद पति- TDR

दावा बाबत :- ११ RTA

मुकदमा नम्बर :- १५/२०२३

निर्णय दिनांक :- ०५/६/२३

वादी की ओर से वकील श. मन्वीर प्रसाद की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

श. रामचन्द्र बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ०५/६/२३ को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही भोजा २ AMR डेरवागा स०
१०/५३ डे मुण्डन १६ डे डिता न० ११, १० मुण्डन १७ डे डिता न० १३ गा १३
डी इत २.०२५ हे० में परिवारी स० ०१ डे नाम ११८/७९ डिस्ता
राही भोजा चड ३ AMR डे रवागा स० १७/३३ डे मुण्डन ३६ डे डिता न०
११/१, ११/२, १२, १३, १७ गा १५ मुण्डन ३७ डे डिता न० २५११, २५१२ डी
इत ३.०३६ हे० में परिवारी स० ०१ डे नाम ३/५९ डिस्ता व शही प्रसाद
चड १ AMR डे रवागा स० १०२/१९ डे मुण्डन ३९ डे डिता न० १६११, १६१२
१७, १८, १९, २२, २३, २५, २५११, २५१२, मुण्डन ३६ डे डिता न० १८,
१९११, १९१२, २०, २१, २२११, २२१२, मुण्डन ३७ डे डिता न० १, २१, २१२,
३११, ३१२, डी इत ५.०५४ हे० में परिवारी स० ०१ डे नाम
३/५९ डिस्ता राजस्व रिडार्ड में दर्ज है। उपरोक्त तीनों रवागा
में परिवारी स० १ हरिराम डे नाम इतमपर डिता पादर वारी
दोसियाट सिंह परिवारी स० २ सज्जन कुमार डे वरिस्ता
वरावर डे मुनुमाट रवागेदा करतकर घोषि डिचे जाते अ
पु वरि घोषि घोषि इमि वरि रदन हे गो रदन मुकु होने पर
उपरोक्त मुमाट राजस्व रिडार्ड उकल करे। रवनी पार उअपपयाना
अपना अपना पदन करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ५/६/२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शिविर प्रभारी

उपखंड अधिकारी